| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.02.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण एवं वादीगण को कई बार आवाज लगाई गई कोई हाजिर जबाब नहीं आया। पत्रावली एवं तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा दावा इस आशक का प्रस्तुत किया है, कि प्रतिवादीगण द्वारा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 269 पर कब्जा करते हुए अपनी आराजी 270 में मिला लिया है, एवं मौके पर कोई रास्ता की भूमि नहीं रहने दी है, और धमकी दी है कि वादीगण की आराजी में से रास्ता निकालेंगे।<br>इस बाबत् तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट तलब की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि, आराजी खसरा नम्बर 269 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है, एवं मौके पर करीबन 15 फीट में होकर निकल रहा है, जिस पर पक्की डामर रोड़ डाली गई है। जो कि ग्राम पंचायत द्वारा डाली हुई है। उक्त आराजी गैर मुमकिन रास्ता के दोनों तरफ मकान बने हुए है। उक्त आराजी की मुताबिक राजस्व नक्शा लठ्ठा में भी चौड़ाई 15 फीट है। रास्ता वर्तमान में चालू है उस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, एव ना ही रास्ता अवरूद्ध है।<br>तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 269 किस्म गै0मु0 रास्ता बाकै ग्राम सरैखी का पुरा तहसील मनियां व जिला धौलपुर पर किसी का भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। बार बार आवाज लगाये जाने के बाद भी वादीगण एवं उनके वकील उपस्थित नहीं आये। जबकि वाद की विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने एवं वाद को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व वादी का होता है। उक्त रिपोर्ट से वादीगण के वादपत्र के कथन गलत सिद्ध होते है। इसलिए दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>[illegible] कलक्टर [illegible]<br>धौलपुर (राज.) | |